उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग,

संख्या-18/3236/92-2014-208आरई/2008,

लखनऊ:: दिनांक:: 31 जुलाई, 2014

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

श्री मयंक वार्ष्णेय द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर हुई प्रथम नियुक्ति के उपरान्त प्रखण्ड-रामपुर में दिनांक 17-5-1989 को योगदान किये जाने के पश्चात दिनांक 28-6-1989 से ही अपनी अस्वस्थता के आधार पर आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र प्रखण्ड-रामपुर में प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त दिनांक 31-10-89 तक विभिन्न प्रार्थना पत्रों के माध्यम से चिकित्सकीय अवकाश एवं अवैतनिक अवकाश का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने, किन्तु कार्यालय में उपस्थित न होने के कारण शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4641/62-3-2008-208आरई/2008, दिनांक 07 नवम्बर, 2008 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत श्री वार्ष्णेय के विरूद्ध अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया था।

2- जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण में अपनी जांच आख्या अपने पत्र दिनांक 20-11-2010 द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में यह अवगत कराया गया है कि जांच प्रक्रिया में आरोप पत्र जांच अधिकारी के पत्र दिनांक 12-8-2009 द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से श्री वार्ष्णेय के पते पर प्रेषित करते हुए उनका बचाव उत्तर मांगा गया था। श्री वार्ष्णेय द्वारा अपना बचाव उत्तर जांच अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा पंजीकृत डाक के माध्यम से श्री वार्ष्णेय को प्रेषित आरोप पत्र जांच अधिकारी को वापस प्राप्त भी नहीं हुआ है। उक्त तथ्यों के आलोक में जांच अधिकारी की जांच आख्या

http://shasanadesh.up.nic.in

में यह इंगित करते हुए कि वार्ष्णेय द्वारा जान-बूझ कर अपना बचाव उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, श्री मयंक वार्ष्णेय, सहायक अभियन्ता पर दिनांक 28-6-1989 से बिना किसी सूचना के लगातार शासकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप पूर्णत: स्थापित पाया गया है।

3- अपचारी अभियन्ता, श्री मयंक वार्ष्णेय द्वारा दिनांक 17-5-1989 से दिनांक 27-6-1989 तक मात्र 40 दिन प्रखण्ड-रामपुर में सहायक अभियंता के पद पर शासकीय सेवा की गयी है। उ0प्र0 ग्रामीण अभियंत्रण (समूह-ख) सेवा नियमावली, 1993 के नियम-19(1) में यह प्राविधान है कि सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा में रखा जायेगा तथा नियमावली के नियम-19(3) में निम्नलिखित प्राविधान है :-

"यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।"

4- पूर्वोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत श्री मयंक वार्ष्णेय, सहायक अभियंता द्वारा निर्धारित दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण न करना, विभाग में उनका किसी पद पर धारणाधिकार न होना, मात्र 40 दिन की शासकीय सेवा करना, निर्गत आरोप-पत्र का उत्तर न दिया जाना तथा सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 17-5-1989 को योगदान करने के उपरान्त दिनांक 28-6-1989 से लगातार शासकीय सेवा से अनाधिक़त रूप से अनुपस्थित रहना यह सिद्ध करता है कि श्री वार्ष्णेय द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है और वे शासकीय सेवा में रूचि नहीं रखते हैं तथा विभाग के लिए उपयोगी भी नहीं हैं। अतएव प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त श्री वार्ष्णेय के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4641/62-3-2008-208आरई/2008, दिनांक 7 नवम्बर, 2008 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त करते हुए उ0प्र0 ग्रामीण अभियंत्रण

http://shasanadesh.up.nic.in

(समूह-ख) सेवा नियमावली, 1993 के नियम-19(3) सपठित नियम-19(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत श्री मयंक वार्ष्णेय, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की सेवायें तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

डा0 सूर्य प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-18/3236(1)/92-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- श्री मयंक वार्ष्णेय द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अखिलेश अग्निहोत्री
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in